

(1)

Registration Sum No.-305/2022
State Vs Ghanshyam

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 263, 264 के अधीन संक्षिप्त विचारण में
अभिलेख तथा निर्णय

न्यायालय-कपिल बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरई
जिला छिंदवाड़ा म0प्र0

Registration No.-305 /2022

Filling No.-Sum-604 -2022

CNR No.-MP2812000636 2022

Filling Date-07-12-2022

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र हरई,
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

----- अभियोजन

विरुद्ध

घनश्याम पिता हाकम सिंह तेकाम, उम्र 40 वर्ष,
निवासी-ग्राम परतापुर थाना व तहसील हरई,
जिला छिंदवाड़ा म0प्र0

----- अभियुक्त

अभियुक्त का अभिवाक् प्ली तथा उसकी परीक्षा यदि कोई हो।

01— आप अभियुक्त ने दिनांक 02.11.2022 को समय करीब 15.30 बजे
या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र हरई के अंतर्गत ग्राम परतापुर में बिना वैध
अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से देशी कच्ची महुआ शराब 08 लीटर, जिसकी
अनुमानित कीमत 800/- रुपये की रखी पायी गयी। ऐसा कर आपने धारा
34(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया।

(कपिल बौरासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
हरई जिला छिंदवाड़ा

अभियुक्त का अभिवाक्:- अभियुक्त द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया।

(कपिल बौरासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
हरई जिला छिंदवाड़ा

(2)

Registration Sum No.-305/2022
State Vs Ghanshyam

—:निर्णय:—

(आज दिनांक 07. 12. 2022 को घोषित)

- 1— अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया अपराध करना स्वीकार किया है अभियुक्त की स्पष्ट स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 34(ए) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।
- 2— प्रकरण के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 34(ए) आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं राशि 800/— के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अर्थदण्ड अदा न करने की व्यतिक्रम की दशा में 15 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया जावे।
- 3— प्रकरण में जप्तशुदा देशी कच्ची महुआ शराब 08 लीटर विधिक दृष्टि से मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत की जावे।
- 4— कार्यवाही समाप्त होने की तारीख 07.12.2022 है।

(कपिल बौरासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
हरई जिला छिंदवाड़ा